

**प्रारूप-छ (संलग्नक-6)**

**अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)**

पूआईडी संख्या : UPFS/2023/83311/GZB/GHAZIABAD/5019/CF0

दिनांक : 22-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स PARAMHANS PUBLIC SCHOOL पता PARAMHANS PUBLIC SCHOOL SITUATED AT M-BLOCK,SANJAY NAGAR, SECTOR-23,GHAZIABAD तहसील - GHAZIABAD प्लाट एरिया 4100.00 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 1666.01 (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
PARAMHANS PUBLIC SCHOOL	3	0	10.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स PARAMHANS PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 25-08-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री NARENDRA SINGH के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 29-08-2023 से 28-08-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स PARAMHANS PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स PARAMHANS PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**“यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।”**

**Note :** यह अनापत्ति प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 18-छ-पु0-8-2022-905(34)/2016 टीसी गृह पुलिस अनुभाग-8 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में निर्गत किया जा रहा है। जिसके सैटबैक सला प्राधिकारी के निर्णय के अधीन होंगे भवन में निरन्तर मॉक ड्रिल फायर डिमार्शुशन एवं विद्युत वायरिंग लोड का सम्बन्धित विभाग से आडिट कराया जाना अनिवार्य होगा।



निर्गत किये जाने का दिनांक : 29-08-2023  
स्थान : GHAZIABAD

हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**RAHUL PAL**

49CFB804BDA64910CAE4F035187DB1A56889CBDF

29-08-2023

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.